



झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./88 / 18 - 13

राँची/दिनांक: 02 / 05 / 2019

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, राँची के ज्ञापांक-5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2017- वि0स0को0-10(गो0) दिनांक- 27.03.2017 से संसूचित है कि वर्ष-2017 से NCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों का चयन, प्रत्येक व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से पर्षद द्वारा किया जायेगा, जिसके आलोक में पर्षद द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के बदले आवेदकों के 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर कमशः तैयार की गयी मेधा-सूचियों से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन किया जा रहा है।

2. (क) ऑन-लाईन आवेदन:- शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिये भी श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, राँची के पत्रांक 5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2019- 114 दिनांक- 22.01.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के आलोक में राज्य के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं पी0पी0पी0 मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवासीय, शैक्षणिक, शारीरिक, आयु-सीमा से संबंधित निर्धारित अर्हता धारित करने वाले इच्छुक आवेदकों से पर्षद द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक पर्षद के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर सर्वप्रथम "Click Here for All Online Application Submission- JCECEB 2019" को Click करें तथा उसके बाद "Online Application Form Submission for Admission in I.T.I. in 2019" link को Click कर दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक 03.05.2019 से दिनांक 02.06.2019 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आठवीं (8वीं)/दसवीं (10वीं) कक्षा का अंक पत्र तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साईज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ-साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो तथा जो संपादित (Edited) नहीं हो हस्ताक्षर एवं बाँयें हाथ के अंगुठे के निशान के साथ submit करें। ऑनलाईन आवेदन करने पर उसका प्रिंट आउट पर्षद कार्यालय को नहीं भेजना है।

(ख) आवेदन शुल्क :- आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य/अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के आवेदकों को ₹ 400/- एवं अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि/सभी कोटि की महिला आवेदकों को ₹ 200/- Payment Gateway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/Net Banking के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

आवेदक द्वारा आठवीं (8वीं) एवं/या दसवीं (10वीं) कक्षा के प्राप्तांक को, आवेदन पत्र में, भरा जाना अनिवार्य है। यदि अंक पत्र में Marks obtained के स्थान पर CGPA दिया गया हो तो उस CGPA को दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए Percentage of Marks में बदल लें। उसे ही "Percentage of Marks" कॉलम में भरें। {उदाहरण के तौर पर यदि कोई आवेदक, जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त किये हैं, के अंक पत्र में CGPA = 7.3 है तो उसका समतुल्य Percentage of Marks = $7.3 \times 9.5 = 69.35$

% होगा} आवेदकों द्वारा कॉलम में 69.35 % भरा जाय न कि 69 % क्योंकि 69.35 % और 69 % के बीच में दूसरे अनेक आवेदकों के प्राप्तांक % होने की स्थिति में, गलत प्रविष्टि करने वाले आवेदकों का मेधा-सूची में मेधा-क्रमांक नीचे/कनीय हो जायेगा जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। नामांकन हेतु अनुशंसा के निमित्त आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार के समय गलत Percentage of Marks भरने वाले को, सीट खाली रहने की स्थिति में, सबसे अंत में मौका दिया जायेगा। अतः Percentage of Marks पूरी एकाग्रता एवं सही से प्रविष्टि किया जाय।

3. आवासीय अहर्ता :- झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये पात्र समझे जायेंगे। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0-3198, दिनांक 18.04.2016 में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त अधिसूचना की प्रति पर्वद के अधिकृत वेबसाइट के Homepage पर Act & Circulars कॉलम में देखा जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति, नामांकन के निमित्त साक्षात्कार के समय, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

(क) वेल्डर, कारपेन्टर, मेशन (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर), सीट मेटल वर्कर एवं वायरमैन व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को आठवीं (8वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।

(ख) उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को दसवीं (10वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।

5. शारीरिक योग्यता : नामांकन के लिये अनुशंसित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थान में नामांकन के समय, निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की अस्वस्थता की स्थिति में उनका नामांकन नहीं किया जायेगा।

6. आयु-सीमा अहर्ता :-

(क) दिनांक 01.07.2019 को आवेदक की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होना चाहिए।

(ख) सैन्य कार्रवाई में मारे गये सैन्यकर्मियों के विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है।

आयु की गणना, माध्यमिक/10वीं/समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण-पत्र तथा आठवीं/8वीं स्तर के व्यवसायों के लिये प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि के आधार पर की जायेगी।

7. आरक्षण :-

(क) आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-02/2019 का0-1434/राँची, दिनांक 15.02.2019 के अनुसार होगा।

(ख) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा-सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण



में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

8. सैनिक कोटा आरक्षण :- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में सैन्य कर्मियों (किसी भी वर्ग) के लिये एक सीट आरक्षित है। "A Guide to Resettlement of Ex-Service Men 1984" Ministry of Defence, Directorate General Resettlement में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिसूचित सैन्यकर्मियों को ही यह सुविधा दी जायेगी।

सैनिक कोटा के अन्तर्गत आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नांकित होगा :

1. सैन्य कार्रवाई में मारे गए सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
2. सैन्य कार्रवाई में अपंग हुये सेवारत तथा सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
3. शांतिकाल में सैन्य सेवा के दौरान मरने वाले सैन्यकर्मियों के विधवा/आश्रितों
4. शांति काल में सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैन्यकर्मियों के आश्रितों
5. वीरता पदक प्राप्त सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों तथा सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों
6. सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों
7. सेवारत सैन्यकर्मियों के आश्रितों

सैनिक कोटा हेतु आरक्षित सीटों की सुविधा प्राप्त करने हेतु सेवारत सैन्यकर्मियों/सेवा निवृत्त सैन्यकर्मियों के आश्रितों, दिवंगत सैन्यकर्मियों की विधवा तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-

क) झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक)/उपायुक्त द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

ख) सक्षम सैनिक अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवारत सैनिक कर्मियों/अधिकारियों के लिये) या जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों के लिये)

ग) सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)/पेंशन बुक।

9. दिव्यांगों हेतु आरक्षण :- सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में दिव्यांगों (किसी भी वर्ग) के लिये एक सीट आरक्षित है। दिव्यांग का अभिप्राय होगा वैसे उम्मीदवार जो (क) अंधापन और कम दृष्टि या (ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता या (ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास या (घ) स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और या (ड.) बहु निःशक्तता जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, के कारण कम से कम 40 प्रतिशत आंशिक असमर्थ हो। दिव्यांगों को साक्षात्कार के समय एक फुल साईज का अपना फोटो तथा जिला अस्पताल के आर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति लाना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। आवेदन-पत्र में दिव्यांग के प्रकार सम्बन्धी कोड भरें।

10. नामांकन शुल्क :- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों से नामांकन/प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को संस्थान में जमानती राशि (Caution Money) के रूप में ₹50/- जमा करना होगा जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रतिदेय (Refundable) होगा।

गैर- सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभ्यर्थियों से नामांकन/प्रशिक्षण के लिए, सरकार द्वारा निर्धारित राशि ली जायेगी।

11. मेधा सूची :- पर्षद द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये दो प्रकार की मेधा-सूचियों का निर्माण निम्नरूपेण किया जायेगा :-


(क) आठवीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची :- जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण, आठवीं (8वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर, किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में जिनका जन्म तिथि पहले होगा अर्थात् जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें मेधा-क्रम में वरीयता दी जायेगी। इसके वाबजूद भी अगर स्थिति समान रहती है तो उम्मीदवारों के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार वरीयता दी जायेगी।

(ख) दसवीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची :- जिन व्यवसायों में नामांकन के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 10 वीं कक्षा में उत्तीर्णता है, उसके लिये मेधा सूची का निर्माण, दसवीं (10वीं) कक्षा में प्राप्तांक के आधार पर, किया जायेगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में उनके मेधाक्रम के निर्धारण में उपरोक्त प्रक्रिया का ही अनुसरण किया जायेगा।

10 वीं कक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार आठवीं (8वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों के साथ-साथ दसवीं (10वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों में नामांकन के लिए योग्य समझे जायेंगे। यदि ऐसे उम्मीदवार दसवीं (10वीं) कक्षा के साथ-साथ आठवीं (8वीं) कक्षा स्तरीय व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में नामांकन के लिये ईच्छुक हैं तो इसके लिये उन्हें ऑन-लाईन आवेदन में आठवीं (8वीं) तथा दसवीं (10वीं) दोनों कक्षा में प्राप्तांक अवश्य से भरा जाय ताकि उनका मेधा क्रमांक, दोनों मेधा-सूचियों में अंकित किया जा सकें। उम्मीदवारों से इसके लिये आवेदन शुल्क के रूप में कोई अतिरिक्त राशि नहीं ली जायेगी।

12. पर्षद द्वारा मेधा सूचियों के निर्माण एवं अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अनुशंसा के लिये साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा जिसकी विस्तृत सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं पर्षद के अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

13. संशय/दुविधा की स्थिति में पर्षद के दूरभाष सं. 9264473891 या 9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से.
परीक्षा नियंत्रक